

29.01.2024:—पत्रावली पेशी में आई। वकील वादी उपस्थित वकील वादी द्वारा वाद-पत्र में कोई कार्यवाही न चाहते हुए not press का अंकन किया अतः वकील वादी द्वारा वाद-पत्र को not press करने पर वाद-पत्र वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

